मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/ 819 /MIS/NR-10/MGNREGA-MP/15 भोपाल, दिनांक 28 /01/2015

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला– समस्त (म.प्र)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेबर बजट के संबंध में।

———00———

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 का लेबर बजट 180 आईपीपीई एवं 133 नान आईपीपीई विकासखण्डों हेतु ग्राम पंचायतवार तैयार किया जाकर नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि की जाना है। परिषद के पत्र क्र.222/NR-1/Yojna/MGNREGA-MP दिनांक 03.01.2015 से आईपीपीई के लिये चिन्हित 180 विकासखण्ड की सूची प्रेषित करते हुए भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन अनुसार लेबर बजट तैयार किये जाने हेतु लेख किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आईपीपीई एवं नान आईपीपीई विकासखण्डों के लेबर बजट की नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1. **चयनित 180 जनपद पंचायतों हेतु विहित प्रक्रिया** :– इन जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों के प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार द्वारा, आईपीपीई सर्वे के समय की गई रोजगार की मांग का माहवार विवरण नरेगा सॉफ्ट में दर्ज करना, यदि लक्षित वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार द्वारा रोजगार की मांग नहीं की गई हो तो उसका कारण दर्ज करना होगा। इस प्रकार सर्वे के अनुसार प्रत्येक परिवार के द्वारा रोजगार की मांग करने अथवा न करने का पूर्ण विवरण दर्ज करना होगा। यदि सर्वे में किसी परिवार को नहीं लिया गया है तो उसका उल्लेख भी करना होगा।

2. **शेष 133 जनपद पंचायतों (नान आईपीपीई ब्लॉक) हेतु विहित प्रक्रिया** :– इन जनपद पंचायतों के लेबर बजट की नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि की प्रक्रिया विगत वर्षानुसार ही होगी।

लेबर बजट के वर्क प्रोजेक्शन में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें। इनमें सृजित होने वाले अकुशल श्रमिक दिवसों की गणना करने के बाद ही नवीन कार्यो को प्रस्ताव में जोड़ा जावे। इस बात का ध्यान रखा जावे कि कम से कम 60 प्रतिशत लागत के कार्यो का चिन्हांकन कृषि संबंधी एवं कृषि आधारित गतिविधियों (यथा भूमि विकास, जल संरक्षण व संवर्धन, कृषि उद्यानिकी/कृषि वानिकी/रेशम/वन्या व अन्य अनुमत वृक्षारोपण तथा पशु पालन संबंधी समस्त कार्य) से हो।

जिले अंतर्गत चयनित आईपीपीई तथा नान आईपीपीई जनपद पंचायतों में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों का लेबर बजट उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया से **दिनांक 04 फरवरी 2015 तक अनिवार्य रूप से नरेगा सॉफ्ट में अद्यतन कराया जावे।** अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिले के परियोजना अधिकारी मनरेगा को इस कार्य के लिये नोडल अधिकारी नामांकित किये जावे, वे प्रतिदिन की प्रगति से जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं परिषद मुख्यालय में एमआईएस शाखा को अवगत करायेगें।

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 के द्वितीय सप्ताह में लेबर बजट 2015–16 पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया जाकर अनुमोदन किया जायेगा। चूंकि मनरेगा अधिनियम अनुसार जिले में योजना कियान्वयन के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक उत्तरदायी है, अतः विहित प्रक्रिया के तहत निर्धारित समय–सीमा में नरेगा सॉफ्ट में लेबर बजट की प्रविष्टि हो गई है, यह सुनिश्चित कर लेवें। जिन विकासखण्डों में वांछित कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण नहीं की जावे, उन विकासखण्डों के कार्यक्रम अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।

लेबर बजट नरेगा सॉफ्ट में दर्ज करने पर किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु स्टेट नोडल अधिकारी (एमआईएस) श्री उवैस अहमद, से दूरभाष क्र. 0755–2551045 एवं ई मेल rddmp_mis@yahoo.com पर सम्पर्क कर मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

(सीमा शर्मा)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

पृ. क्र./ 870 /MIS/NR-10/MGNREGS-MP/15 भोपाल, दिनांक 28/01/2015

प्रतिलिपिः–

- समस्त संभागायुक्त, म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि संयुक्त आयुक्त (विकास) को उपरोक्त कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण कराने के लिये जिलों से आवश्यक समन्वय बनाने के निर्देश दिये जावे।
- समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मनरेगा) म.प्र.।
- समस्त परियोजना अधिकारी (मनरेगा) म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ।

28.1.2015
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल